### <u>पत्रा0 संख्या: 80-2099/12/2021-</u>

# उत्तर प्रदेश शासन कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 संख्या- 8 /2022/2122948/2022 लखनऊः दिनांक- 22 जुलाई,2022

#### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति(प्रथम संशोधन),2021 के प्रस्तर 6.2.1 के प्राविधान्तर्गत नीति के अनुलग्नक-1 में चिन्हांकित क्लस्टर की सूची के विस्तार एवं संशोधन के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/2064099/2022, दिनांक 15-3-2022 द्वारा गठित 'राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति" की प्रथम बैठक दिनांक 30-3-2022 में लिये गये निर्णय/स्वीकृति के अनुक्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2021/1729003/2021, दिनांक 13.08.2021 द्वारा निर्गत नीति के अनुलग्नक-1 (प्रथम संशोधन) को निम्नानुसार अनुलग्नक-1 (द्वितीय संशोधन) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उОप्रO कृषि निर्यात नीति,2019 (यथासंशोधित),2021 का संलग्नक <u>अनुलग्नक -1 (द्वितीय संशोधन)</u>

# उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद	
ताजे फल / सब्जी , खाद्यान्न , तिलहन		
आम	वाराणसी , सहारनपुर , मेरठ , लखनऊ , सीतापुर , उन्नाव , अमरोहा , रामपुर , बुलन्दशहर , अयोध्या	
	, बिजनौर , मुज्जफरनगर , हरदोई, कासगंज , अम्बेडकरनगर , अलीगढ़ , खीरी , बाराबंकी ,	

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	कुशीनगर , मुरादाबाद , बागपत , प्रतापगढ़ , बलरामपुर।
केला	गोरखपुर , कुशीनगर , महाराजगंज , बहराइच , श्रावस्ती , सिद्धार्थनगर , बाराबंकी , कौशाम्बी , फतेहपुर , खीरी , लखनऊ , मैनपुरी , पीलीभीत , मुरादाबाद , सन्तकबीर नगर , सीतापुर ।
अमरुद	कौशाम्बी , प्रयागराज , कानपुर नगर , बदायूँ , फर्रुखाबाद , कासगंज , अलीगढ़ , एटा , हाथरस , मुरादाबाद , बुलन्द श हर , रामपुर , उन्नाव , सम्भल।
आँवला	प्रतापगढ़ , कौशाम्बी , अयोध्या , प्रयागराज , मथुरा , आजमगढ़ , बस्ती , फतेहपुर।
आलू	आगरा , फर्रुखाबाद , कानपुर नगर , कन्नौज , बदायूँ , सम्भल , फिरोजाबाद , हाथरस , अलीगढ़ , इटावा , मैनपुरी , प्रयागराज , शाहजहाँपुर , बाराबंकी , हरदोई, मथुरा।
ताजी सब्जियां (हरी मिर्च , भिन्डी, लौकी, करेला, हरी मटर, परवल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां , इत्यादि )	लखनऊ , अयोध्या , कानपुर नगर , वाराणसी , जौनपुर , गाजीपुर , मिर्जापुर , सोनभद्र , चन्दौली , कौशाम्बी , जालौन , कासगंज , बरेली , बाराबंकी , बुलन्दशहर , अलीगढ़ , बिलया , फतेहपुर , फिरोजाबाद , मुरादाबाद , उन्नाव , आगरा , मेरठ , मैनपुरी , गोण्डा , हापुड , एटा , अम्बेडकरनगर , बहराइच , अमरोहा , लितितपुर , झांसी , महोबा , सुल्तानपुर, हमीरपुर, अमेठी, खीरी ,बस्ती , कुशीनगर , कन्नौज ।
	टमाटर उत्पाद हेतु जनपद सीतापुर को भी जोड़ा जाता है।
बासमती चावल	सहारनपुर , मेरठ , अलीगढ़ , आगरा , बरेली ,

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मुरादाबाद।	
मक्का	गोण्डा	
धान	सुल्तानपुर	
गेहूँ	सुल्तानपुर	
तिल	झांसी , हमीरपुर , महोबा , बांदा , जालौन।	
म्ंगफली	हमीरपुर	
चिकोरी	एटा , कासगंज।	
लहसुन	फिरोजाबाद , एटा , मैनपुरी।	
मेंथा (मिन्ट )	बाराबंकी , बदायूं , मुरादाबाद , सीतापुर , रामपुर , जालौन , बरेली।	
गन्ना	सीतापुर	
औषधीय पौधे एवं उसके उत्पाद		
तुलसी	हमीरपुर	
भौगोलिक संकेत वाली फसलें		
इलाहाबादी सुर्ख अमरुद	प्रयागराज , कौशाम्बी	
मलिहाबादी दशहरी	<u> </u> लखनऊ	
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिले	
काला नमक चावल	गोरखपुर , महाराजगंज , सन्तकबीर नगर ,	
X V V	सिद्धार्थनगर , बहराइच , गोण्डा , देवरिया , बस्ती ,	
	कु शीनगर , बलरामपुर , श्रावस्ती।	
जैविक उत्पाद		
धान , गेहूँ , सब्जियां , आलू ,	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की	
औषधीय पौधे , सरसों , बाजरा ,	लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला / क्षेत्र	
आम , अमरूद , मूंग , उरद ,		
गन्ना , हल्दी , मटर , अरहर ,		

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इत्यादि		
पशु / डेयरी एवं उनके उत्पाद		
ताजा दूध , स्किम्ड दूध , पनीर , घी , मांस , इत्यादि	एटा , मथुरा , बुलन्द शहर , वाराणसी , गोरखपुर , उन्नाव , अलीगढ़ , रामपुर , लखनऊ , मेरठ।	
प्रसंस्कृत उत्पाद		
अचार , फ्रोजन सब्जियां , जूस , जैम , रेडी टू ईट , रेडी टू कुक , कन्फेक् श नरी , खाद्यान्न आटा , खाद्यान्न रोस्टेड , नमकीन , इत्यादि	मथुरा , लखनऊ , वाराणसी , झांसी , कानपुर ,	
मछली एवं मछली उत्पाद		
मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर , महाराजगंज , कुशीनगर , देवरिया	

डा० देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव।

## संख्या- 8 /2022/2122948/2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- ा-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - 2-सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  - 3- सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
  - 4-स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - 5-कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।
  - 6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
  - 7-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 8-समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9-निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 10-निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 12-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, 30प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1 14- गार्ड फाईल।

आजा से,

ॠषिरेन्द्र कुमार विशेष सचिव।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।